

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग


क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/17/34576

जयपुर,दिनांक: 29/09/17

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/6839-7305 दिनांक 14.3.2017 के द्वारा राज्य सरकार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत बकाया नगरीय विकास कर जमा कराने हेतु देय शास्ति व ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दिनांक 1.4.2017 से 30.9.2017 तक प्रदान की गई थी।

उक्त आदेश क्रमांक 6839-7305 दिनांक 14.3.2017 की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि नगरीय विकास कर के संबंध में उक्तानुसार छूट दिनांक 31.12.2017 तक प्रभावी रहेगी।


(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त शारान सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/17/34577-34826

दिनांक: 29/09/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग राज0 जयपुर
5. संभागीय आयुक्त (कमीशनर्स) / जिला कलक्टर(समस्त) राजस्थान।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिसासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान
8. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर
9. अधिकारीगण निदेशालय (समस्त)/उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. नोडल अधिकारी, मॉनेटरिंग सैल/CMAR-DLB को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. जन-सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार-प्रसार करने हेतु।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी